16.6.2021

वकील फरीकैन उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खत्म होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.15 15:36:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

मु0न0	आर.सी.एम.एस.नं.	ता0 रजू
17/19	2019/00054	21.6.2019

पीठासीन अधिकारीः—श्री देवेन्द्र सिंह परमार आर.ए.एस

उनवान

फुगना देवी पत्नि अमरचंद आयु 60 साल जाति माली निवासी जगन्नाथ लाला की बगीची के पास मेला गेट बाहर करौली तह0 व जिला करौली

— सायला

बनाम

1. रामभजन पुत्र मूली आयु 40 साल जाति माली निवासी मंदिर के पीछे मोगिया पाडा मेला गेट बाहर करौली तह0 व जिला करौली (नाम हजफ 25.02.2021)
2. ललती वेवा मूली आयु 75 साल जाति माली निवासी मेला गेट बाहर मंदिर के पीछे करौली तह0 व जिला करौली
3. दिनेश पुत्र रामगोपाल आयु 25 साल जाति माली निवासी मेला गेट बाहर मंदिर के पीछे पशु पालन विभाग मोगिया बस्ती करौली तह0 व जिला करौली

— गैरसायलान

4. तहसीलदार तह0 करौली लैण्ड होल्डर

दर. धारा 212 आर0टी0.एक्ट

निर्णय

दिनांक 16.6.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायला ने यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उनवानी दावा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जा चुका है सायला का प्राइमाफेसी केस काफी मजबूत है जो दस्तावेजी सबूतो पर आधारित है जिसमें सायला की कामयाबी की पूरी पूरी उम्मीद है। आराजी खसरा नम्बर 7686 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा खसरा नम्बर 7687 रकवा 1 बीघा 7 विस्वा खसरा नम्बर 7688 रकवा 4 विस्वा जगन्नाथ लाल की बगीची के पास मेला गेट बाहर कस्बा करौली में सायला का 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी से 1 लगायत 3 जो 1/3 हिस्सा के हिस्सेदार है। उक्त आराजी सायला एवं गैरसायल सं0 1 ता0 3 की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की है। फरीकेन विवादित जमीन के पास में मंदिर के पीछे के रहने वाले एक ही खानदान के लोग है। हमारा पुरखा कलुआ था। कलुआ के तीन पुत्र मूली, अमरचंद और मूलचन्द है। उक्त आराजी कलुआ की मृत्यु के बाद मूली, अमरचंद व मूलचंद का प्रत्येक का कमशः 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सेदारी खातेदारी की थी। अमरचंद व मूलचंद ने अपना 2/3 हिस्सा 1 खरीद किया है। कलुआ की मृत्यु के बाद रिहायशी जायदाद मे गैर सायल संख्या 2 ने सायला को परेशान किया एवं घर से बाहर निकाल दिया तब करीब 45 साल पूर्व सायला के पति अमरचंद ने विवादित आराजीयात में से खसरा नम्बर 7686 में अपने रिहायशी पाटौर पोश छान पोश पक्के मकान बना रखे है। मकानो के पास जामुन आम [illegible] आदि के पेड़ सायला के द्वारा लगाये हुये है। फरीकेन का अभी बंटवारा नही हुआ है। और सायला [illegible] लगाये हुये है। फरीकेन का अभी बंटवारा नही हुआ है। और सायला [illegible] अपने मकानो [illegible] रह रही है। खेत खसरा नम्बर 7686 सडक से करीब 15 फुट ऊंचाई पर [illegible] हैं प्रार्थिया के [illegible] शादीशुदा बच्चे परिवार एवं 3 कुंवारे बच्चों के साथ जमीन पर मकानो में रह रहे है। [illegible] काश्त करते चले आ रहे है। खसरा नंबर 7686 के पूर्व दिशा मे सडक सहारे [illegible] गुमा खेत खसरा नंबर 7688 मात्र 4 विस्वा का है। जो सडक से लगा हुआ है। खसरा नंबर 7686 के उत्तर दिशा मे सडक से करीब 8 फुट ऊंचााई पर खेत खसरा नम्बर 7686 स्थित है। खसरा नंबर 7686 की पूर्व डोल पर एक कटहल का पेड लगा हुआ है। शामलाती काश्त करती चली आ रही है। गैर सायलान वगैर बंटवारा शामलाती जमीन शामलाती जायदाद का बंटवारा नही हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.15 15:36:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विक्रय करना चाहते है जिनका उन्हे कोई हक हकूक हासिल नही है। सायला गैर सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने की अधिकारी है।

गैर सायलान नं0 2 जमीन को बेचना चाहती है। गैर सायला का उस जमीन में 18 विस्वा हिस्सा है। उसने अपने हिस्से को बेचना चाहती है। गैर सायलान बंटवारा कराने से इनकार है। दिनांक 14.06.2019 को गैर सायलान ने कहा हम तो शामलाती जमीन को बेच कर तुम्हारे पडोस में मुसलमान बसाकर रहेंगे।

यदि गैर सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द नही किया गया तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरे नकद कतई संभव नही होगी एवं सायला का दावा करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। सुविधा का संतुलन भी सायला के पक्ष में है। मौके एवं रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने व सायला के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने बाबत गैर सायलान को ता फैसला वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया ।गैर सायला ने उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित भूमि सायला व गैर सायलान की संयुक्त खातेदारी की है जिसके गैर सायलान का 1/3 हिस्सा है। भूमि रिकॉर्ड में शामलाती दर्ज है। परन्तु अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जे काश्त में है। पेड आदि की शामलाती है। सायला सह खातेदार के किसी भी रूप से पाबन्द कराने की मुश्तहक नही है। प्लीडिंग में जातिवाद व साम्प्रदायिकता की भाषा का सायला द्वारा इस्तेमाल अशोभनीय है। हिन्दू मुलसमान की बात कर सायला नफरत फैलाना चाहती है। जबकि विवादित आराजीयात के आस पास माफी व मुसलमानो के काफी खेत है व आपस में भाई चारे के साथ रहते है। सायला गैर सायलान से अलग अलग बंटवारा कराकर बांटना व रिकॉर्ड से अलग–अलग खातेदारी कायम कराना चाहती है तो कोई आपत्ति नही है। गैर सायलान ने बंटवारे से कभी इंकार नही किया है। बंटवारे बाबत् दिनांक 14.06.2019 को कहना गलत हैं। प्रार्थना पत्र सायला खारिज किये जाने का निवेदन किया है। गैर सायल नं0 1 का लाऔलाद फौत होने पर प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2021 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र से नाम हजफ किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील सायला का बहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात का सायला का बंटवारा नही हुआ ह। सायला दौराने दावा यदि गैर सायल द्वारा विवादित भूमि का बेचान कर दिया तो सायला को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है इसलिए गैर सायलान को ता फैसला वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये।

वकील गैर सायलान का बहस में कथन है कि भूमि का बाहमी बंटवारा मौके पर सायला व गैर सायलान के मध्य हो रहा है। और अपनी अपनी भूमि पर कब्जा काश्त कर रहे है। बंटवारा बाबत् कभी सायलान से मना नही किया गया है। सायला द्वारा दावा व टी. 9 सायला खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.15 16:36:12 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील फरीकेन का मनन यिका गया [illegible] प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया जमाबन्दी सम्वत 2072–75 का अवलोकन [illegible] वाद ग्रस्त आराजीयात सायल व गैर सायलान [illegible] संयुक्त खातेदा[illegible] अंकित हैं सायला व गैर सायलान के मध्य बंटवारा का सदभावी विवाद है [illegible] के अंतिम निर्णय से तय होगा। दौराने दावा वादग्रस्त आराजीयात जो सायलान व गैर सायलान के संयुक्त खातेदारी की होने से प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति सायला के पक्ष में प्रतीत होती है। प्रार्थना ए सायलान स्वीकार किया जाने योग्य है।

Scanned with CamScanner

(8)

अतः प्रार्थना पत्र सायला विरूद्व गैर सायलान स्वीकार किया जाता है। गैर सायलान नं0 2–93 को ता फैसला वाद पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वह मुदग्रस्त आराजी ख0नं0 7686, 7687, 7688 कुल किता 3 कुल रकवा 2 वीघा 14 विस्वा वाके कस्वा मेला गेट बाहर करौली की मौका एवं रिकॉर्ड की स्थिति बनाये रखे सायला के हिस्से 2/3 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे न किसी अन्य से करावे।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.07.15 15:36:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner